

सीडी कांड की सुनवाई 26 अगस्त को

रायपुर @ पत्रिका. सीडीकांड की सुनवाई 26 अगस्त को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में होगी। गुरुवार को सीबीआई की ओर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ लगाई गई रिवीजन याचिका पर सुनवाई होनी थी। इस आवेदन पर बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया जाना है। वहीं, इस प्रकरण में आरोपी

बनाए गए कैलाश मुरारका, विजय भाटिया, विनोद वर्मा और विजय पंडया के आवेदन पर सुनवाई होनी थी। दोनों ही प्रकरण में सीबीआई ने अपना पक्ष रखने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया। जिसे विशेष न्यायाधीश ने स्वीकार करते हुए सुनवाई को आगे बढ़ा दिया। बता दें कि

कथित सैक्स सीडीकांड में भूपेश बघेल को उन्मोचित किया गया। इसके खिलाफ सीबीआई द्वारा रिवीजन याचिका लगाई गई है। सीडीकांड के अन्य आरोपियों ने सीबीआई पर सवाल उठाते हुए स्वयं को निर्दोष बताते हुए आवेदन लगाया गया है। दोनों प्रकरणों की अब 26 अगस्त को सुनवाई होगी।